


प्रश्न सं. [क. 1379]



राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011

दूरभाष : (0755) 2769390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552763, 2760360

क्रमांक/राशिके/मॉनिट/2016/5342
प्रति.

भोपाल दिनांक 22.7.16

1. प्राचार्य प्रगत शैक्षिक संस्थान/शिक्षा महाविद्यालय/डाईट
समस्त जिले (म.प्र.)
2. जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त जिले (म.प्र.)

विषय:- प्रारंभिक शिक्षा की गतिविधियों की मॉनिटरिंग हेतु वाहन एवं POL, अन्य व्यवस्था।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/राशिके/मॉनिट/8175/ भोपाल दिनांक 10.11.15।

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित जिला स्तर पर उपरोक्त संस्थाओं में पदस्थ अकादमिक अधिकारियों द्वारा मैदानी भ्रमण किया जाता है।

अतः शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए मॉनिटरिंग के कार्य से किये गए भ्रमण के व्यय जैसे वाहन/POL/अन्य की व्यवस्था के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं:-

1. वाहन की पान्रता-

कार्यालय का नाम	अधिकारी का पदनाम जिसके द्वारा सामान्यतः वाहन का उपयोग किया जायेगा	मॉनिटरिंग कार्य से किये गये भ्रमण में वाहन/POL/अन्य हेतु मासिक व्यय की सीमा	मद
प्रगत शैक्षिक संस्थान/ शिक्षा महाविद्यालय	प्राचार्य/अकादमिक स्टाफ	अधिकतम रु. 5,000 प्रतिमाह प्रति जिला (20 दिवस भ्रमण हेतु) 8 माह के लिए	राज्य योजना अंतर्गत मॉनिटरिंग मद
डाईट	प्राचार्य एवं अकादमिक स्टाफ	अधिकतम रु. 28,000 प्रतिमाह प्राचार्य एवं अकादमिक अमले को शालाओं के भ्रमण हेतु (20 दिवस भ्रमण हेतु) 8 माह के लिए	राज्य योजना अंतर्गत मॉनिटरिंग मद
जिला शिक्षा केन्द्र	जिला परियोजना समन्वयक	एक वाहन (पूर्ण वर्ष हेतु) अधिकतम रु. 28,000 प्रतिमाह	सर्व शिक्षा अभियान के प्रबंधकीय मद से
	समस्त सहायक परि. समन्वयक, सहायक/यंत्री/ उप यंत्री	एक वाहन (पूल वाहन) अधिकतम रु. 28,000 प्रतिमाह। (20 दिवस भ्रमण हेतु) 8 माह के लिए	राज्य योजना अंतर्गत मानिटरिंग मद से
विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र	विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक एवं समस्त अकादमिक समन्वयक के भ्रमण हेतु	अधिकतम रु. 28,000 प्रतिमाह (20 दिवस भ्रमण हेतु) (वाहन बी.आर.सी.सी. के नियंत्रण में रहेगा) 8 माह के लिए	राज्य योजना अंतर्गत मानिटरिंग मद

एस ए एच रिजवी
नियंत्रक मॉनिट
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

जिलेवार वर्षवार निरीक्षण हेतु जारी राशि का विवरण

पृ. 12/02

क्र.सं.	जिला	2016-17		2017-18		2018-19
		ग्रामण हेतु जिला शिक्षा केन्द्र को चार माह की राशि चैक नं. 000146	ग्रामण हेतु जिला शिक्षा केन्द्र को चार माह की राशि चैक नं. 000167	ग्रामण हेतु जिला शिक्षा केन्द्र को चार माह की राशि चैक नं. 000188	ग्रामण हेतु जिला शिक्षा केन्द्र को चार माह की राशि चैक नं. 000201	ग्रामण हेतु जिला शिक्षा केन्द्र को दो माह की राशि चैक नं. 568648
		17-8-16	10-3-17	29-09-2017	23-03-2018	21-01-19
1	श्यामपुरकला	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
2	मुरैना	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
3	मिण्ड	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
4	ग्वालियर	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
5	शिवपुरी	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
6	गुना	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
7	अशोकनगर	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
8	दतिया	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
9	देवास	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
10	रतलाम	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
11	शाजापुर	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
12	आगर-मालवा	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
13	मंदसौर	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
14	नीमच	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
15	उज्जैन	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
16	इंदौर	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
17	धार	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
18	झाबुआ	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
19	अलीराजपुर	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
20	खरगोन	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
21	बडवानी	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
22	खन्डवा	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
23	बुरहानपुर	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
24	भोपाल	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
25	सीहोर	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
26	रायसेन	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
27	राजगढ़	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
28	विदिशा	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
29	बैतूल	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
30	होशंगाबाद	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
31	हरदा	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
32	सागर	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
33	दमोह	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
34	पन्ना	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
35	छतरपुर	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
36	टीकमगढ़	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
37	जबलपुर	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
38	कटनी	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
39	नरसिंहपुर	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
40	छिंदवाडा	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
41	सिवनी	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
42	मण्डला	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
43	डिन्डोरी	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
44	बालाघाट	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
45	रीवा	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
46	शहडोल	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
47	अनूपपुर	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
48	उमरिया	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
49	सीधी	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
50	सिंगरौली	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
51	सतना	1.12	1.12	1.12	1.12	0.56
कुल	51 जिले	57.12	57.12	57.12	57.12	28.56

एस ए एच 56
निर्देशक 56
राज्य शिक्षा केन्द्र

[Signature]

2. शर्त:-

1. वाहन किराए पर लेने हेतु नियमानुसार विहित प्रक्रिया का पालन किया जाए।
2. वाहन टैक्सी कोटे में पंजीयन होना अनिवार्य है।
3. किराए का भुगतान मासिक आधार पर/वाहन का लाग बुक के सत्यापन उपरांत पर किया जायेगा लाग बुक में निरीक्षण यथा स्थान का नाम, कार्यालय/स्कूल का नाम, दूरी आदि की जानकारी अंकित होना चाहिए।
4. अन्य व्यय म0प्र0 यात्रा नियमों के अनुसार देय होगा।
5. बजट शीर्ष:-

- जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रयुक्त एक वाहन का भुगतान राज्य योजना अंतर्गत मॉनिटरिंग मद एवं दूसरे वाहन का सर्व शिक्षा अभियान के प्रबंधकीय मद (O&M) से किया जायेगा।
- डाईट को प्रथम 04 माह की राशि राज्य शिक्षा केन्द्र कार्यालय द्वारा अग्रिम दी जा रही है। इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य शिक्षा केन्द्र को भेजे जाने के पश्चात् आगामी 04 माह हेतु राशि जारी की जायेगी।

उक्त निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

(दीप्ति गौड़ मुकजी)

आयुक्त

राज्य शिक्षा केन्द्र

भोपाल दिनांक 22-2-16

पृ.क्रमांक/राशिके/मॉनिट/2016/5343

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, समस्त जिले, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त जिला परियोजना समन्वयक/सहायक परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त जिले, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त विकासखंड स्त्रोत समन्वयक/विकासखंड अकादमिक समन्वयक/विकासखंड जेडर समन्वयक, समस्त जिले, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
6. सहायक यंत्री/उपयंत्री, जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त जिले, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
7. एज्यूकेशन पोर्टल पर अपलोड हेतु।

आयुक्त

राज्य शिक्षा केन्द्र

एस.एस. सिजवी
नियंत्रक मास्टर
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल